17.48 hrs.

Title: Regarding welfare of Tribals.

SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA (HASSAN): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to discuss an issue related to tribal welfare. I am also thankful to my colleague, Shri Bhatruhari Mahatab for having put a Starred Question on this issue on the 7th of August, 2001.

Sir, this is an important matter and it needs personal attention...(*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, हमें कब समय मिलेगा?

सभापति महोदय : आपको नैक्स्ट टाइम समय मिलेगा, जब यह आगे सदन में आयेगा। अभी हाफ एन ऑवर डिस्कशन हो रहा है। इसे टाइम 5.47 बजे फिक्स टाइम पर शुरू होना था। यह क्वैश्चन था, इस पर हाफ एन ऑवर डिस्कशन हो रहा है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम कब बोलेंगे?

सभापति महोदय : ऐसा नहीं होता है। सदन का समय समाप्त हो गया, आपको आगे समय मिलेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कब मिलेगा?

सभापति महोदय : जब भी समय आयेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : समय तो हर साल आयेगा तो हम अगले साल बोलेंगे क्या?

सभापति महोदय : सदन का जो एलाटेड टाइम था, वह समाप्त हो गया, इसलिए जब आगे समय आयेगा, उस समय आप बोलेंगे। अभी यह विाय कंटीन्यू कर रहा है। सदन तो रूल्स के अनुसार चलेगा।

SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA : The reply given by the Minister was not satisfactory. Tribals comprise about 8.1 per cent of the country's population. That is a considerable number. The Government is not taking care of this sizeable population. In this connection I am reminded of what hon. President of India has said in his address to the nation on 14th August, 2001, on the eve of the Independence Day. He said, 'It is very essential to strike a balance between freedom and justice.' This is hundred per cent correct and fully relevant to the issue under discussion.

The gap between haves and havenots is increasing under this NDA Government's regime. This Government has no political will or commitment to remove the imbalances in the society. According to the figures available, for construction of Girls Hostels, the Government has released Rs.32 lakh in the year 2000-01. For construction of Boys Hostels, an amount of Rs.32 lakh only was released. For Ashram Schools, funds to the tune of Rs.5.32 crore were released but not a paisa has been spent. This shows that this Government has no political will and commitment to take care of the needs of the tribal people in the country. If the Government fails to revise its policy towards tribal people, there would be a scenario where one could see two Indias − one of haves and one of have-nots.

The condition of tribal people residing mostly in the remote rural areas is going from bad to worse. I bring this matter to the attention of the Government with the hope that the Government would come out with a specific plan for upliftment of tribal people in the country and that the Government would endeavour to remove imbalances in the society.

The President also said in his address that the poor were getting impatient. I would say that the tribals are getting impatient. They are leading pathetic lives. We all have heard of the incidents of starvation deaths of tribals. Till recently, people belonging to a tribe in the hilly areas of Karnataka were using bamboo as a vessel to cook rice. Even today some of them depend on hunting for their livelihood. In Orissa and in the North-Eastern States there is a large population of Scheduled Tribes. More funds are required for the development of primitive tribals. Increase in the Budget allocation for tribal welfare schemes has been meagre. Special Assistance sanctioned towards Tribal Sub-Plan during the year 1999-2000 was just Rs.400 crore.

This amount remained the same during 2000-01 also. But no money has been spent for this special scheme. In fact, my first question to the hon. Minister is that why there is no increase in the grants under the Special Central Allocation for the Tribal Sub Plan.

I want to mention one more point. Has the hon. Minister got any monitoring system to see that the amount released reaches the needy ones? Otherwise, Sir, as our former Prime Minister, late Rajiv Gandhi had also said, only 10 per cent of the total amount released would reach the needy.

There is no question of blaming one another. All of us have to introspect. Creating a new Ministry is not enough. Monitoring is more important. More than the middlemen and the unscrupulous 'outsiders', the tribals across the country should beware of the Government machinery itself. A large amount of money given by the Centre to protect them against exploitation and their upliftment has been grossly misused by the authorities.

My second question is whether it is a fact that the money is being released often on the last day of the financial year. If so, will the hon. Minister kindly change this trend?

My third question is about the backlog in the reservation of jobs in the State Government and Central Government services. Is it a fact that this backlog is mounting year after year? If so, what are the measures contemplated by the hon. Minister to clear this backlog?

My fourth question is about the allocation of amounts. The amount allocated for the development of primitive Tribal groups for the year 2001-02 is Rs. 1,250 lakh. What is the amount released till today?

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA: Sir, I am concluding within a minute.

They have allocated Rs. 1,250 lakh. But even this amount has not been spent properly.

Sir, my fifth question is about the opening up of residential schools. In the Ninth Plan, under TSP, the Centre proposed to establish 100 residential schools on the pattern of 'Navodaya Vidayalayas'. What is the number of such schools established in the country and particularly in Karnataka as on today?

Sir, my sixth and the last question is about the awareness programmes. What special efforts have been made by the Ministry to bring in awareness of all the schemes both at the Government level and voluntary organisation level relating to Tribals, primitive tribals and migratory tribals like *banjaras* and otherwise?

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत लगभग 9 प्रतिशत आदिवासियों की जनसंख्या है। पिछले अनेक वर्षों से आदिवासियों में अनुसूचित जनजाति की सुविधा के लिए, उनके अच्छे सुधार के लिए या उन्हें अनेक प्रकार से सुविधाएं देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किये गये, उनमें या तो पूरी तरह से उन्हें उनका लाभ नहीं मिला या मिला भी तो किंचित मात्र लाभ मिला और चाहे हम किसी भी प्रदेश को लें, चाहे मेघालय, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराट्र के अन्य भाग या दक्षिण भारत के कुछ भाग हों जिनमें आदिवासी बहुल जनसंख्या है, मैं माननीय मंत्री जी से दो-चार प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी या जनजाति के लोग जो वर्षों सेâ€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : दो-चार नहीं, एक ही प्रश्न में पूछिए।

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : एक ही प्रश्न पूछूंगा। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि जनजाति के लोग जो अनेक वर्षों से पहाड़ों में या जंगलों में रहते हैं जिनको वन्य ग्राम कहा जाता है, उन वन्य ग्रामों को राज्य ग्रामों में परिवर्तित कर उनकी आजीविका का साधन जुटाने के लिए क्योंकि वर्षों से वे खेत जोतते आ रहे हैं, आज उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, ऐसे जनजाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है?

18.00 hrs.

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है - आदिवासियों के लिए देश भर मे अनेक योजनायें चलाई गईं, अनेक योजनाओं को शामिल किया गया, उन योजनाओं का क्या हुआ? इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च हुई? प्रश्न का तीसरा भाग है - जनजाति छात्र-छात्राओं की शिक्षा की दृटि अनेक शिक्षण संस्थायें खोली गई हैं और आदिवासियों के छात्रावास खोले गए हैं, लेकिन छात्रावासों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैंने स्वयं छात्रावासों का निरीक्षण किया है और देखा है कि उनको मिलने वाली खाद्य सामग्री अत्यन्त ही निकृटतम खाद्य सामग्री है। इस दिशा में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? प्रश्न का अंतिम भाग है - आदिवासियों को मिलने वाली चिकित्सा पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। मैंने स्वयं देखा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो योजनायें चलाई जानी थी, वे अभी तक शुरु भी नहीं हुई हैं। जहां पर तालाब बनाए जाने थे, मैंने स्वयं जाकर देखा है, वहां गड्ढा भी नहीं है, पानी तो बहुत दूर की बात है। आजादी के 54 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन कल्याण योजनाओं के बारे में, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, समीक्षा करके तथ्यात्मक बात निकाले, जिससे वहां का कल्याण हो सके। आदिवासी लोगों को चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले, सामाजिक उद्धार हो । आदिवासी लोग जो जंगलों से निकाले जा रहे हैं, उनके निकाले जाने पर रोक लगाई जाए। वनग्रामों को राजस्वग्राम में परिवर्तित करने और भूमि आवंटित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, जैसा कि अभी कहा गया, आजादी के 54 वर्षों के बाद भी आदिवासियों की स्थिति में आर्थिक या शैक्षिक या सामाजिक दृटि से जो सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। करोड़ों रुपयों की नाना प्रकार की योजनायें बनाने के पश्चात् भी उन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं पहुंच पाया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सरकार ने आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए और आदिवासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए अब तक जो प्रयास किए हैं, उनमें अपेक्षित सफलता सरकार को क्यों नहीं मिली है ? वन्य प्रदेशों में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। ये खेती का सहारा लेकर अपना भरण-पोाण करते हैं। इन लोगों को खेती का मालिकाना हक देने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। वन सम्पदा पर ही उनका जीवन निर्भर है। मै सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई विशेा योजना है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है - राजस्थान में 7.5 प्रतिशत आदिवासी आबादी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में आदिवासी लोगों का बाहुल्य है। इन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आश्रम खोले जाने के बाद, स्पेशल कम्पोनेंट स्कीम होने के बाद भी इन लोगों का विकास नहीं हो रहा है। राजस्थान में मीणा एक ट्राइब जनजाति है, लेकिन इस जाति का हर तीसरा मीणा व्यक्ति आईएएस बन गया है। दूसरी तरफ डूंगरपुर, बासवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में जो भील मीणा जाति के लोग है, उनकी स्थिति वैसी की वैसी है। इन लोगों में एक प्रतिशत अधिकारी तो बहुत दूर की बात है, छोटे अधिकारी भी नहीं बन पाए हैं। मैं मंत्री

महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस डिसपैरिटी की ओर सरकार का ध्यान गया है? यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? â€¦ (व्यवधान)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दे रहा हूं और उनका आभार प्रकट कर रहा हूं। मुझे आधे घंटे की चर्चा पर बोलने के लिए एलाऊ किया है। हम लोगों को भी मिनिस्ट्री की और से माननीय सदन को बताने के लिए जो चांस दिया है, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। पहले प्लान से चौथे प्लान तक, सरकार का जैसे जनरल प्लान है ऐसे ही विकास के लिए काम किया गया। पांचवें फाइव ईयर प्लान में सोचा गया कि अगर ट्राइबल का ऐसे ही विकास किया जाएगा, जिस दर से बाकी लोगों का किया जाएगा, ऐसा करने से इन लोगों का बाकी लोगों के बराबर आना संभव नहीं है। इसलिए फाइव ईयर प्लान में से एक टीएसपी एप्रोच, ट्राइबल सब-प्लान प्रोजैक्ट एप्रोच एडोप्ट किया गया। इस प्लान के अंदर एक और प्लान ट्राइबल लोगों के लिए चलाया जाएगा। उसे चलाने के लिए देश भर में 194 आईटीडीए या आईटीडीपी, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजैक्ट या एजेंसी गठित की गई। उसे चिन्हित करके मार्क किया गया। जो ट्राइबल पापुलेटेड ऐरिया है उसके साथ 259 (माडा) मोडीफाइड ऐरिया डेवलपमेंट एजेंसी के नाम पर कुछ यूनिट बनाए गए, जो कि एक ब्लाक के अंदर हो सकते हैं। पांच हजार से ज्यादा पापुलेशन, 50 प्रतिशत से ज्यादा पापुलेशन ट्राइबल का हो और उसके साथ 82 क्लस्टर ग्रुप, जो छोटे-छोटे पॉकेट में रहते हैं, उनके लिए भी चिन्हित किए गए और लास्ट में प्रीमिटिव ट्राइब ग्रुप। माननीय सदस्य जो 75 की संख्या बता रहे थे, जो कि प्री-एग्रीकल्चर स्टेज में हैं, भूखे-नंगे हैं, बाकी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं और दूरदराज के इलाकों में हैं, उन सब का विकास करने के लिए किया गया।

महोदय, पहले प्लान में एक प्रतिशत पैसा ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए खर्च हुआ। दूसरे प्लान में एक प्रतिशत से कम हुआ। आप पांचवें फाइव ईयर प्लान में देखेंगे कि तीन प्रतिशत से ज्यादा पैसा खर्च हुआ और आठवें प्लान में 9.47 प्रतिशत पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए पैसा तो सफिशिएंट जाना चाहिए। उसका जो आउटफ्लो होना चाहिए, वह एंश्योर किया गया और उसमें से हो रहा है। बाकी जो ट्राइबल इंडीकेटर्स है, उसमें भी आप लिट्रसी रेट देखेंगे, मैं एक ही इंडीकेटर आपके सामने रखना चाहता हूं। 1961 में ऑल इंडिया लिट्रेसी रेट 24 प्रतिशत ऑल इंडिया का था। उस समय ट्राइबल का 8.5 था। 1971 में, दस साल के बाद ऑल इंडिया लिट्रसी रेट 29.4 प्रतिशत हुआ। उसमें ट्राइबल का 11.3 प्रतिशत हुआ। 1991 के सेंसस में 52.2 प्रतिशत लिट्रसी रेट हुआ तो ट्राइबल का भी 29.6 प्रतिशत हुआ। इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है, इन तीस सालों में जनरल ऑल इंडिया एजुकेशन का 24 से 52 प्रतिशत लिट्रसी रेट होता है। करीब दो गुना से ढाई गुना के आस-पास पढ़ते हैं, लेकिन ट्राइबल का लिट्रसी रेट 8.5 से 29.6 प्रतिशत हुआ, इनकी तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उसके लिए उतना पर्याप्त ध्यान नहीं हो पाया है। इसलिए एनडीए सरकार के आने के बाद एक स्वतंत्र ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई गई। तीन साल में कितना पैसा खर्च हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में प्रश्न हुआ है। जब मैंने इस मिनिस्ट्री का दायित्व लिया तो 630 करोड़ का बजट था। हमने उसे एक साल में बढ़ा कर 810 करोड़ किया। अब इस साल के बजट में 1049 करोड़ हुआ है। हम जो शेड्यूल ऐरियाज़ हैं उसके बाहर जो ट्राइबल रहते हैं उन्हें भी कुछ लाभ देना चाहते हैं। इसलिए हम एक नेशनल ट्राइबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कार्पोरेशन, जो एससी, एसटी फाइनेंशियल कार्पोरेशन था, उसे हमने अलग करके किया है। एक्सपेंडीचर में भी हम 85 प्रतिशत से ज्यादा करते जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाए हैं उन्होंने कहा कि गर्ल्स होस्टल के बारे में आपका बजटेड अमाउंट बहुत ज्यादा था, लेकिन आपने 32 लाख खर्च किया है।

लड़कों के होस्टल के बारे में बजटरी एमाउंट बहुत ज्याता था लेकिन उसमें भी आपने 32 लाख खर्च किया है। आश्रम स्कूल के लिए बजटरी एमाउंट है लेकिन उसमें निल-एक्सपेंडिचर आप दिखा रहे हैं। यह काम कुछ सेंट्रली सेक्टर स्कीम में है और कुछ सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम में है। उसमें 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लड़कों के होस्टल में भी 50-50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। राज्य अगर 50 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो हम कैसे पैसा देंगे? ट्राइबल्स का जो डैवलेपमेंट होगा उसको 100 प्रतिशत सेंट्रली स्पोन्सर्ड न करके सेंट्रली सेक्टर स्कीम कर दीजिए, यह विचाराधीन बात है। लोग सजेशन दे रहे हैं लेकिन एक विचार है कि इसमें भी स्टेट अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं चाहता। ऐसा ही लड़कों के स्कूल और आश्रम स्कूल का हाल है। आज बहुत सारे प्रदेश आश्रम स्कूल खोलने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि खोलने के बाद 50-50 का प्रावधान करना है। खोलने के बाद उसमें मास्टर लाएंगे, उसमें छात्र-छात्राएं आयेंगी, स्टाईफंड देना पड़ेगा और उनको रहने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसलिए वे नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोग भी ध्यान दें तो उसमें पहल हो सकती है। इसमें एक नयी पहल इस सरकार के आने के बाद हुई है। लड़कों के होस्टल, गर्ल्स होस्टल और आश्रम स्कूल, ये तीन स्कीम जो हैं इनमें 50 प्रतिशत राज्य सरकारों को और 50 प्रतिशत केन्द्र को देना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स चूंकि इसमें आगे नहीं आ रही हैं तो हमारी एमपीलैड में बात करके प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से इसमें बात हुई है कि अगर वह 50 प्रतिशत का जो मैचिंग है वह अगर राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं तो मान्यवर सांसद अपने एमपीलैड फंड में से 50 प्रतिशत देंगे तो हम उसको मानेंगे। ऐसा सर्कूलर गया है और माननीय सदस्यों को इसके लिए भी पत्र मिल चुका है। एमपीलैड की ओर से भी मिला है और हमने भी दिया है। â€¦ (व्यवधान)

SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA : Hundred per cent funds should be given by the Central Government.

श्री जुएल उराम : वह तो पांचवें प्लॉन से आज तक चल रहा था। इसमें आगे डिसाइड होगा तो हो भी सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसी स्थिति ही है।

बैक-लॉग को क्लीयर करने के लिए हम बीच-बीच में रिक्रूटमेंट टाइप स्पेशल ड्राइव करते हैं। अभी तक स्पेशल ड्राइव नहीं हुई, आप दृटि में लाए हैं लेकिन राज्यों का बैक-लॉग पाना बहुत मुश्किल काम है। उनको बताने के लिए बार-बार कहा है। एससीएसटी कमीशन के चेयरमैन मान्यवर भूरिया जी उसको देखते हैं और निर्देश देते हैं तो बैक-लॉग पूरा होता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि बैक-लॉग क्या कोई टाइम बाऊंड है?

श्री जुएल उराम : बैक-लॉग का भी टाइम बाऊंड है। उसमें नो-लॉस होना चाहिए, ऐसा भी हमारा आग्रह है और उसमें बैक-लॉग नहीं रहना चाहिए तथा वह एक-दो साल में कम्प्लीट होना चाहिए। लेकिन इसका हिसाब लेना मुश्किल होता है। आर्गेनाइजेशन टू आर्गेनाइजेशन कम्पाइल करना मुश्किल होता है। ट्राइबल्स के लिए अगर वैकेन्सीज हैं तो उनको शीघ्र भरने के लिए बोला गया है लेकिन जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम लेट होता है।

दूसरा, स्टाइफंड के बारे में पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप इस देश में 19 लाख से ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : बैक-लॉग को पूरा करने के लिए स्पेशल ड्राइव निकालिये।

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. The Minister is replying.

श्री जुएल उराम : वन-ग्राम के बारे में मान्यवर पांडे जी ने बताया है कि इस सरकार के आने के बाद तीन दिन का एक सेमिनार एससीएसटी एमपीज का हुआ था तथा जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था और उस समय के लॉ-मिनिस्टर माननीय राम जेठमलानी जी और हम लोग उसमें थे। विचार-विमर्श के बाद हर राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि 1980 से पहले यानी फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट आने से पहले जो भी ट्राइबल्स किसी भी तरह की जमीन पर चाहे फॉरेस्ट लैंड हो, रिजर्व फ़ॉरेस्ट लैंड हो, खसरा जंगल हो या कहीं भी बसा हुआ है।

उसे वन ग्राम से हटा कर विलेज ग्राम डिक्लेयर करिए और सब सुविधाएं दीजिए, इसके लिए डायरैक्शन दिया गया है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री जुएल उरामः यह राज्य सरकार का विाय है और इसे इम्पलीमैंट करना राज्य सरकार का काम है। हम डायरैक्शन दे चुके हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की यह भावना है कि कोई मॉनिटरिंग सैल या नैटवर्क है या नहीं? क्या राज्य सरकार समय-समय पर कोऑर्डिनेट करती है?

श्री जुएल उरामः मॉनिटरिंग होता है। हम किसी स्टेट के टूर पर जाते हैं तो वहां के मंत्री और सचिव को बुलाते हैं। एक प्रावीजन है कि फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, लैंड एक्ट में एलिनेशन नहीं होना चाहिए। यह प्रावीजन लागू हो रहा है या नहीं, इसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। बहुत सी सरकारों ने वन ग्राम को रेवेन्यू विलेज में परिवर्तित करने के लिए उसे चिन्हित करने का काम किया है। उड़ीसा के बारे में हम कह सकते हैं कि वहां कुछ काम शुरु हुआ है।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : मध्य प्रदेश आपकी डायरैक्शन्स को फॉलो नहीं कर रहा है।

श्री जुएल उरामः रावत जी ने कहा कि ट्राइबल कल्चरल के लिए क्या कर रहे हैं? वह एक रिच कल्चर है। उसे बढ़ावा देने के लिए ट्राइसेम संस्था है। हमने उसके थ्रू तीन-चार प्रदेशों का सात दिन का एग्जीविशन कम सेल का मेला 9 महादेव रोड में किया था। वहां ट्राइबल्स शो हुआ था। वहां माननीय मंत्रियों को बुला कर उसका उद्घाटन करके सभी को दिखाया। एक हमने बनवासी सदस्य मेला किया था जैसा प्रगति मैदान में एक दिन ऐसा मेला लगता है। उसमें जोरदार पार्टिसिपेशन हुआ था। हर प्रदेश के ट्राइबल ग्रुप्स उसमें आए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : आप बनवासी न कहिए। उसे आदिम जाति कहिए।

श्री जुएल उरामः हमने जनजातियों के लिए प्रोग्राम किए। मैं स्पैशल ड्राइव के बारे में बता चुका हूं। बजट एलोकेशन में बढ़ोत्तरी किया जा रहा है। हम इसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। ईटिंग हैबिट्स के बारे में यहां बताया गया। People are eating bamboo and things like that. ट्राइबल्स जंगली चीजों को खाना जानते हैं। आपने देखा होगा कि वे उसका आचार बना कर उसे खाते हैं। इसका जिन लोगों को प्रोसीजर मालूम है उसे खाने पर वह हार्मफुल नहीं है। उसे प्रॉपरली न बनाने स वहे कभी-कभी हार्मफुल होता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ) : पेपर में आया था कि इसे खाने से उड़ीसा में कई लोग मर गए।

श्री जुएल उरामः इस सरकार की मंशा बहुत क्लीयर है। यदि वह नहीं होती तो वह इस मिनिस्ट्री को अलग से नहीं बनाती। यह मिनिस्ट्री 53 साल बाद बनी है। आप सोच सकते हैं कि इसके बारे में क्या थिकिंग है? सरकार की इस बारे में ओपन थिकिंग है और इस क्षेत्र में बिल्कुल कन्सन्ट्रेट वर्क हो रहा है। इनका उत्थान हो और वह समयबद्ध हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री के.ए.सांगताम (नागालैण्ड) : मुझे भी इस पर बोलने का समय दिया जाए।

सभापति महोदयः आप पहले नोटिस नहीं देते हैं और सचेत नहीं रहते हैं। How can I allow you?

SHRI K.A. SANGTAM : Sir, through you, can I ask one question to the hon. Minister?

आपने ट्राइबल्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें 50 परसैंट शेयर सैंटर का और 50 परसैंट स्टेट का शेयर होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहां इकोनॉमिक्ल डैवलपमैंट नहीं है। 50 परसैंट की बजाय 25 परसैंट शेयर स्टेट का कर दें और 75 परसैंट सैंटर का कर दें - इस प्रोसीजर को आप सिम्पल बना दें - नहीं तो यह कागजों में ही रह जाएगा।

MR. CHAIRMAN: No, I am not allowing.

18.19 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, August 20, 2001/Sravana 29, 1923 (Saka).